

>

Title:Need to undertake regular revision of royalty rate on coal in Odisha.

**श्री यशवंत लागुरी (वयोझर):**खान संबंधी मालिकाना हक के स्थानांतरण एवं इन खानों से राजस्व प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार रॉयल्टी के माध्यम से केंद्र सरकार से धन प्राप्त करती है। राज्य सरकार को रॉयल्टी दिये जाने हेतु स्टडी ग्रुप द्वारा जो रॉयल्टी की दर निर्धारित होनी चाहिए वह तीन साल में एक बार होनी चाहिए जिनका पालन केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार को नागरिक सुविधा के लिए कई विकास कार्य इन खान स्थलों के पास करने होते हैं। बढ़ती महंगाई से इन विकास कार्यों की लागत बढ़ रही है परंतु रॉयल्टी की दरों में कई सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मेरा गृह राज्य ओडिशा, जिसमें कई खाने हैं उनसे जो रॉयल्टी प्राप्त हो रही है वह काफी साल पूर्व निर्धारित दरों से प्राप्त हो रही है जो बहुत ही कम है जिनसे विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। स्टडी ग्रुप द्वारा जो सलाह दी जाती है उनको नहीं माना जा रहा है उसमें कई कमियाँ बताई जा रही हैं। अगर उपरोक्त रॉयल्टी की दरें नहीं बढ़ाई गईं तो कई राज्यों में इन खानों में खनन कार्यों में दिक्कत हो सकती है।

सरकार से अनुरोध है कि खान संबंधी रॉयल्टी की दरों में विकास कार्यों के अनुरूप उत्पादन लागत के हिसाब से बढ़ोतरी की जाये।